न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2024

अपीलार्थी

1. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि श्री चौपाराम गरासिया निवासी डिंगार तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती गभी पत्नि श्री चतराराम गरासिया निवासी डिंगार तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती कानी पत्नि श्री भरताराम गरासिया निवासी डिंगार तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री मानाराम पुत्र श्री अचलाजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री हिम्मतराम पुत्र श्री अचलाजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री मानारामजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री बदाराम पुत्र श्री पूरारामजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री मोहनलाल पुत्र श्री पूरारामजी मेघवाल के वारिसान

5.1 श्रीमती मुंगलीदेवी पत्नि श्री मोहनलाल मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

5.2 श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलालजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

5.3 सुश्री दुर्गा पुत्री श्री मोहनलालजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री पूरारामजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्री मगनाराम पुत्र श्री पूरारामजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. श्री भीमाराम पुत्र श्री दर्जारामजी मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार)।
3. श्री परिक्षीत खरौर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक से आठ की ओर से।

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या 08/2024

निर्णय

दिनांक : 28.11.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्या 01/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या एक से आठ की ओर से अधिवक्ता श्री परिक्षीत खरौर द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या नौ की ओर से पेरोकार सरकार, द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में पक्षकारान के साक्ष्य लिये बिना जवाब प्रस्तुति के दिन ही हल्का पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। यह कि रेस्पोडेण्टान ने हल्का पटवारी से मेल मिलाप कर अपीलांट के विरुद्ध गलत रिपोर्ट पेश करवाई है तथा मौके पर रेस्पोडेण्टान की भूमि पर अन्य पडौसी खातेदारो द्वारा कब्जा किया गया है। अपीलांट अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। अपीलांट ने दिनांक 07.06.2004 को श्री मगनलाल पुत्र श्री धरमाजी व श्रीमती जीवि पत्नि श्री धरगाजी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के भूमि खरीद की थी और जिस कदर बेचनार का कब्जा था उरा अनुरुप सन् 2004 मे कब्जा प्राप्त किया था और मौके पर आज भी उसी अनुरुप काबिज है, परन्तु उक्त तथ्य की साक्ष्य रेकर्ड पर लिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। यह कि अपील निर्णय की जानकारी से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत है क्योकि निर्णय दिनांक 14.06.2022 की जानकारी अपीलेण्टान को ना तो उनके अधिवक्ता ने दी और ना ही इस सम्बन्ध में उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया। दिनांक 06.05.2024 को रेस्पोडेण्टान मौके पर हल्का पटवारी को लेकर नपाई करवाने लगे तब रेस्पोडेण्टान के हक में निर्णय होने की बात कही गई, जिस पर अपीलेण्टान अपने अधिवक्ता से मिले और उन्होनें निर्णय की जानकारी नही होना बताया तब अन्य अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 07.05.2024 को नकल मांगी, जो नकल दिनांक 09.05.2024 को प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होने से 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की गई है तथा बावजूद इसके धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक से आठ की ओर से अधिवक्ता श्री परिक्षीत खरौर द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा उनका जवाब रेकर्ड पर लेकर मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार बिल्कुल सही निर्णय पारित किया गया है। यह है कि रेस्पोडेन्टगण ने किसी भी प्रकार से कोई मेल मिलाप नहीं किया है और ना ही पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट बनवाई गई है। बल्कि हकीकत यह है कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांट के द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण उसे हटाने के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। यह है कि अपीलांटगण अतिक्रमी है और इनको हटाया जाना न्यायसंगत है। यदि अपीलांटगण को

लगातार पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मौके से नहीं हटाया गया तो रेस्पोडेन्ट को भारी असुविधा होगी। यह कि अपीलांट द्वारा यह अपील म्याद बाहर पेश करने से कानूनी रूप से मेन्टेबल नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी उनके अधिवक्ता व पक्षकार तथा स्वयं अपीलांटगण को थी तथा अपीलांट ने उक्त आदेश की अपील देरीना से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण भी नहीं बताया है, जिस कारण अपीलांट की अपील कानूनन परिपोषणीय नहीं हो। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या नौ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 01/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 को पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने पर एवं रेकर्ड में भी उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि पटवार हल्का नया सानवाडा के ग्राम नया सानवाडा में आई हुई है। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं पक्षकारान के साक्ष्य लिए बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा उनका जबाव रेकर्ड पर लेकर मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही निर्णय पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण संख्या 01/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 14.06.2022 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद लगभग तीन वर्ष लम्बित रहा तथा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान पटवारी हल्का नयासानवाडा द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई एवं अपीलांट द्वारा जबाव भी प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप रेकर्ड में लिया गया था। इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लगातार उपस्थिति दी जा रही थी तथा अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति मे ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में लगभग तीन वर्ष तक लम्बित रहा, जिसमें अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का नया सानवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 34 के अनुसार खसरा संख्या 1740/1749 रकबा 13.05 बीघा भूमि मानाराम, हिम्मतराम पि. अचलाराम 1/4, प्रेमाराम पुत्र मानाराम 1/4, बदाराम, मोहनलाल, जगदीश कुमार, मगनाराम पि.

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

पूराराम 1/4, भीमाराम पुत्र दरजाराम 1/4 जाति मेघवाल सा. वीरवाडा के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है, जबकि मौके पर इनका कब्जा 6.15 बीघा भूमि पर ही है तथा खसरा संख्या 1740/1748 रकबा 7.00 बीघा भूमि गंजूदेवी पत्नि चौपाराम, गमी पत्नि श्री चतराजी तथा कानी पत्नि श्री भरतराम जाति गरासिया निवासी डिंगार के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है, जबकि इनका मौके पर लगभग 13.00 बीघा पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण की लगभग 6.00 बीघा भूमि पर कब्जा किया हुआ होना पाया जाता है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त भूमि को अपीलांट द्वारा दिनांक 07.06.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री मगनलाल पुत्र श्री धरमाजी व श्रीमती जीवि पत्नि श्री धरमाजी से क्रय किया गया, परन्तु अपीलांट अधिवक्ता द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय किया गया है। अतः अपीलांट अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण की कब्जा की गई लगभग 6.00 बीघा भूमि दिनांक 07.06.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री मगनलाल पुत्र श्री धरमाजी व श्रीमती जीवि पत्नि श्री धरमाजी से क्रय किया था। अतः रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अभाव में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर किया गया कब्जा अवैध ही माना जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्तागणों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1740/1748 रकबा 7.00 बीघा भूमि दर्ज है, परन्तु इनके द्वारा मौके पर लगभग 13.00 बीघा पर कब्जा किया हुआ है। अतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांटगण का उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि से लगभग 6.00 बीघा अधिक भूमि पर कब्जा है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा संख्या 01/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2024 को विलम्ब से प्रस्तुत की है और उक्त अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने हेतु अपीलांट द्वारा अलग से भारतीय म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया है कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 09.05.2024 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर म्याद 30 दिन पेश कर दी गई। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी थी। अतः अपीलांट के प्रति नरमाई का रूख अपनाते हुए न्यायहित में उक्त अपील को अपीलांट की जानकारी की दिनांक से माना जाकर अन्दर म्याद माना जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 को यथावत कायम रखा जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाडा अपने आदेश दिनांक 14.06.2022 की पालना करवाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner